

145
25

पत्रावली पेश। प्राणी व वकील प्राणी को
बार-2 आवाज लगाई गई। बार-2
आवाज लगाने के पश्चात भी प्राणी
व वकील प्राणी न्यायालय में हाजिर

नहीं उनामें । अत्र पार्थी का प्रार्थना
पत्र अन्तर्गत धारा 212 रिट में उपरम
हाथरी उपरम पैरवी में खारिज किया
जाता है । पत्रावली फैसला शुमार
होकर नम्बर से कम होकर वाचित
रफ्तार हो ।

Signature

**उपकाण्ड अधिकारी
बंतारामगढ (सीकर)**